

168



न्यायालय श्रीमान् राजस्व मंडल ग्वालियर (म0प्र0)

R-3834-J114

गिरधर पटेल पिता स्व. श्री सी.एल. पटेल
निवासी तिली वार्ड, पुरानी प्राईमरी स्कूल के पास, सागर

- पुनरीक्षणकर्ता

बनाम

महेश तिवारी पिता श्री रामसेवक तिवारी
निवासी 110, पोद्दार कालोनी, जिला सागर

- प्रति पुनरीक्षणकर्ता

पुनरीक्षण अंतर्गत धार 50, म.प्र.भू.रा.सं.

न्यायक्षेत्र लखीमपुरा तालुकापाली जिला सागर (म.प्र.)

उपरोक्त नामांकित पुनरीक्षणकर्ता रा.प्र.क्र. 1741 ए6/13-14 में पारित आदेश
दिनांक 27.10.14 से दुखित होकर निम्नलिखित तथ्यों एवं आधारों पर यह पुनरीक्षण
प्रस्तुत करता है-

पुनरीक्षण के तथ्य

कुमारी
3/11/14

न्यायालय राजस्व मण्डल, म० प्र०, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निग. 3834-एक/2014

जिला- सागर

गिरधर पटेल विरुद्ध महेश तिवारी

स्थान तथा
दिनांक

कार्यवाही तथा आदेश

पक्षकारों एवं अभिभाषकों
आदि के हस्ताक्षर

22-08-19

प्रकरण आज लिया गया। आवेदक द्वारा यह निगरानी नायब तहसीलदार नरयावली जिला- सागर के प्रकरण क्रमांक 1741 ए6/2013-14 में पारित आदेश दिनांक 27.10.2014 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म०प्र० भू-राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 27-07-2018 को हुए नवीन संशोधन के प्रभावशील दिनांक 25-09-18 के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54 (क) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर, सागर के न्यायालय को अंतरित किया जाता है।

2- पक्षकार दिनांक 05-11-19 को कलेक्टर सागर के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों।



(जे० के० जैन)
सदस्य